4/5/26 पत्रा० पेश हुई। वकु० उप०। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गयी। वाद-पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वादी अधिवक्ता द्वारा उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रा० के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 का है। एवं P.D. जारी की जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित आराजीयात पर उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पाबंद किया जाता है। एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।